

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1982/भाद्र 3, 1904
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 1982/BHADRA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

आ. अ. 84(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की
की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन
आयोग एतद्वारा यह निवेश देता है कि तमिलनाडु राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों
के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से सुसंगत इसकी तारीख 23
अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/त. ना./79(2) में निम्नलिखित संशोधन
और किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम सं. 25-पेरियाकुलम
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर
“जिला आपूर्ति आफिसर, मधुराई” प्रविष्टि रखी जायेगी।

[सं.—434/सं. सा./79(2)]

आदेश से,

वी.के. राव, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1982

O.N. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 44/TN/79(2) dated 23 October, 1979, relating to the appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituencies in the State of Tamil Nadu, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entry against Serial No. 25-Periyakulam parliamentary constituency, the entry “District Supply Officer, Madurai”, shall be substituted.

[No. 434/TN/79(2)]

By order,

V. K. RAO, Under Secy.